भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2507
15.03.2023 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड निधि में वृद्धि

2507. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री भागीरथ चौधरीः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भवन निर्माण सामग्री की लागत और कुशल तथा अकुशल मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि को देखते हुए प्रत्येक सांसद को विकास कार्यों को पूरा करने और अपने-अपने क्षेत्र में अन्य सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक वर्ष विधायक और संसद सदस्य निधि के अंतर्गत मद-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि और कितने समय में स्वीकृत की जा रही है;

(ग) क्या देश के कुछ राज्यों में विधायक निधि के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि संसद सदस्य निधि के बराबर अथवा उससे अधिक मात्रा में आवंटित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें लगभग 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल होते हैं, के समुचित विकास और देश के विभिन्न राज्यों में विधायक निधि के अंतर्गत आवंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ड़): मंत्रालय, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, निधियों की पात्रता में संशोधन के लिए सुझावों सहित, हितधारकों से निरंतर आधार पर नए सुझावों को प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य सालाना 5 करोड़ रुपये का हकदार है, जिसे 2.5 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में जारी किया जाता है।

विधान सभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड्स) के सदस्यों की वार्षिक पात्रता, राज्यों में अलग-अलग हो सकती है और यह संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

******